

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हए

मूलसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कार्यालय संभागीय
आयुक्त), जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1390

16.07.2025

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक प.13(8)(10)/प./आरटीआई/मूलसिंह/2025/ई-06126/808 दिनांक 11.07.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन ग्राम पंचायत पचलंगी द्वारा जारी पट्टे की शिकायत से संबंधित है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जॉच प्रक्रिया के प्रकटन से संबंधित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रार्थी को पत्रांक दिनांक 30.04.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी का आवेदन ग्राम पंचायत पचलंगी द्वारा पट्टे जारी करने की शिकायत से संबंधित है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जॉच प्रक्रिया के प्रकटन से संबंधित होने से इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(पूनम)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर